भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2038

(दिनांक 12.02.2021 को उत्तर देने के लिए)

आत्महत्या मामलों की रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश

2038. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में मीडिया में आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए कोई दिशानिर्देश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टीवी चैनलों और अन्य मीडिया को आत्महत्या के मामलों में संवेदनशील रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब कोविड के दौरान आत्महत्या के मामलों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में बढ़ोतरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय फिल्म अभिनेताओं की मृत्यु की रिपोर्ट करने के लिए कतिपय मीडिया चैनलों पर कार्रवाई की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड) यह देखते हुए कि आत्महत्या के मामलों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़ा रहे दर्शकों के मानसिक स्वास्थ्य को और प्रभावित करती है और यह आत्महत्या करने वाले परिवारों के परिजनों को भी प्रभावित करती है, को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): मौजूदा नियामक फ्रेमवर्क के अनुसार, टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुसार विनियमित किया जाता है। सभी चैनलों द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है, जिसमें व्यापक मापदंड दिए गए है।

कार्यक्रम संहिता में ऐसे विशिष्ट प्रावधान हैं कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जाए जो उचित और स्वीकार न हों या जो शालीनता के खिलाफ हो अथवा जिनमें कोई भी बात मानहानिकारक, जानबूझकर, मिथ्या हो और जो परोक्ष रूप से अभद्र और अर्ध्द सत्य हो या जो किसी को व्यक्तिगत रूप से अथवा कुछ समूहों, देश के समाज के वर्गों, सार्वजनिक और नैतिक जीवन आदि की आलोचना करती हो, निंदात्मक है या आक्षेपपूर्ण हो।

भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (पीसीआई) के तहत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए "पत्रकारिता आचरण के मानदण्ड" तैयार किए हैं। इन मानदंडों में आत्महत्या के मामले और मानसिक रोगियों की रिपोर्टिंग के दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(ग) से (ङ): मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता का निष्ठा से पालन करने की सलाह देते हुए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की है। पीसीआई ने 28 अगस्त, 2020 और 29 जनवरी, 2021 को इस विषय पर एडवाइजरी भी जारी की हैं जिनमें मीडिया को इसके द्वारा बनाए गए मापदंडों का पालन करने के लिए कहा गया है।

श्री सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मीडिया कवरेज के संबंध में मंत्रालय में शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों को समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को अग्रेषित किया गया जो अपने सदस्य समाचार प्रसारकों के संबंध में एक स्व-नियामक निकाय है। एनबीएसए ने 13.08.2020 को सदस्य प्रसारकों द्वारा उस मामले की कवरेज के संबंध में अपने सभी सदस्य चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें रिपोर्ट कवर करने हेतु विशिष्ट दिशानिर्देशों और मीडिया द्वारा आत्महत्या के मामलों पर रिपोर्ट करने के तरीके का उल्लेख किया गया है। एनबीएसए ने भी इसे भेजी गई विभिन्न शिकायतों की जांच भी की है और दिनांक 06.10.2020 के अपने आदेश के जरिए सदस्य चैनलों के खिलाफ क्षमायाचना प्रसारित करने, भर्त्सना करने, चेतावनी देने और जुर्माना लगाने की दंडात्मक कार्रवाई की।

*****